

30/24

प्राची व प्राची अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
प्राची व प्राची अधिवक्ता को एक-एक
कर 3 बार आवाज लगाई गई कोई
उपस्थित नहीं आया। प्राची का प्रावना
पत्र अन्तर्गत धारा 212 RPA अधिनियम
अनुसार प्राची को खारिज किया जाता है।
प्रावली निर्णय होकर गम्बर से काम
होकर पत्रिल दफ्तर हो।



उपस्थित अधिकारी (राजसवल)
श्री करणपुर